



राज्य निर्वाचन आयोग बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

नगरपालिका आम निर्वाचन/उप
निर्वाचन, 2026

संख्या :-न.नि.50-05/2026.....931

पटना, दिनांक 05.03.2026

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एतद् द्वारा नगरपालिकाओं के असांन आम/उप निर्वाचन हेतु संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी नगरपालिकाओं या उसके भाग के लिए वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त, के आदेश से

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

पटना, दिनांक 05.03.2026

ज्ञापांक- न.नि.50-05/2026.....931

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

पटना, दिनांक 05.03.2026

ज्ञापांक- न.नि.50-05/2026.....931

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधीन किसी नगरपालिका में प्रशासक के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हो तो उन्हें प्रशासक पद से मुक्त कर किन्ही अन्य पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाय तथा अधिसूचना की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर से तैयार कर अपने क्षेत्राधीन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

पटना, दिनांक 05.03.2026

ज्ञापांक- न.नि.50-05/2026.....931

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।